भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 625

गुरूवार, 23 जुलाई, 2026/01 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

सीबीएसपी योजना की प्रगति

625 श्री एस. सेल्वागनबेथीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2020 से 2025 की अवधि के दौरान सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) योजना के तहत प्रशिक्षण और प्रमाणन की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) मंत्रालय द्वारा समर्थित होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम), फ़ूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (एफसीआई), भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम) और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के कैंपस के विस्तार और उन्नयन की क्या स्थिति है;

(ग) क्या इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और ज़िम्मेदार पर्यटन पहल जैसे 'पर्यटन मित्र' और 'पर्यटन दीदी' ने प्रशिक्षित स्थानीय पर्यटक सेवाप्रदाताओं की उपलब्धता में सुधार किया है; और

(घ) विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए आतिथ्य (होटल) श्रृंखला के साथ किस सीमा तक उद्योग भागीदारियां की गई हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क): पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों और पहलुओं को कवर करने वाले पर्यटन सेवा प्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के लिए "सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण" (सीबीएसपी) नामक योजना लागू की है, जिससे सेवा प्रदाताओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 से 2025 तक प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**कुल**
1	2020-21	12085
2	2021-22	22034
3	2022-23	21641
4	2023-24	24153
5	2024-25	89801
	कुल	**169714**

(ख): वर्ष 2026-27 के लिए "आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी/ आईसीआई आदि को सहायता" नामक योजना के लिए 45.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। यह योजना देश में होटल प्रबंधन संस्थानों (आईएचएम), भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), खाद्य शिल्प संस्थानों (एफसीआई), आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस सहायता का उपयोग नए संस्थानों की स्थापना, छात्रावासों के निर्माण, प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, उपकरणों, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि की खरीद जैसे अवसंरचना संबंधी उन्नयन के लिए किया जाता है।

(ग): मंत्रालय एक डिजिटल पहल के माध्यम से अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) और अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीजी) प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं और गाइडों का एक पूल बनाना है। वर्तमान में, विरासत, आध्यात्मिक और पारिस्थितिकी-पर्यटन परिपथ सहित देश भर में 5311 प्रमाणित आईआईटीएफ और 2756 आईआईटीजी कार्यरत हैं। मंत्रालय ने पर्यटन मित्र/पर्यटन दीदी के नाम से एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल भी शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों के अनुभव को समग्र रूप से बेहतर बनाना है। यह कार्यक्रम वर्ष 2024 में शुरू किया गया था और तब से लगभग 4300 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(घ): कौशल विकास, क्षमता निर्माण के तरीकों को सुदृढ़ करने, पर्यटन-संचालित रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने भारत में 10 प्रमुख आतिथ्य और पर्यटन उद्योग श्रृंखलाओं और अपने कार्यक्षेत्र के तहत 21 केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थानों (सीआईएचएम) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करवाए हैं। ये एमओयू छात्र सहभागिता, संकाय के विकास, अल्पकालिक पर्यटन और आतिथ्य-कौशल शिक्षा एवं संस्थागत और अवसंरचना संबंधी विकास पर फोकस करते हैं।
